

89

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० R 1/2014 निगरानी R - 3139 - 2114

श्री. श्री. कृष्ण शर्मा, ग्वालियर
द्वारा आज दि. 17-9-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गोदावरी शर्मा पुत्री रामप्रसाद शर्मा
ग्राम नयापुरा खिरेटा तह० अम्बाह
जिला मुरैनाआवेदक

बनाम

बोना पुत्र ग्याप्रसाद जाति मेंहतर
निवासी नयापुरा मौजा खिरेटा
तहसील अम्बाह जिला मुरैना

.....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 24/07/2014

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय

अम्बाह के प्र०क० 08/13-14×अ/12 निगरानी

अन्तर्गत धारा 51 म० प्र० भू० रा० संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि ग्राम नयापुरा मौजा खिरेटा तह० अम्बाह जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि बन्दोबस्त से पूर्व सर्वे क० 952 बन्दोबस्त के बाद नवीन सर्वे क० 1510 की आवेदिका भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है ।
- 2- यह कि अनावेदक को बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क० 951 बन्दोबस्त के बाद नवीन सर्वे क० 1511/4 का पट्टा प्रदान किया गया ।
- 3- यह कि अनावेदक द्वारा पट्टे की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील अम्बाह में प्रस्तुत किया जो प्र०क० 08/13-14 × अ/12 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 20/05/2014 को पटवारी मौजा को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया ।


- 4- यह कि पटवारी मौजा द्वारा मौके पर जाकर सीमांकन न कर घर बैठे अक्स के विपरीत आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व के कृषि भूमि पर अबैध रूप से बतात हुये सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 24/07/2014 को प्रस्तुत कर दिया । अत्रैत न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3139-एक/14

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>